



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3377]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 15, 2019/आश्विन 23, 1941
No. 3377]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2019/ASVINA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3715(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की धारा 138 के खंड [अ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 अक्टूबर, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 139, धारा 143 का खंड (i) और धारा 144 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/14/ई एम/2015]

आनन्द मोहन बजाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 3715(E).—In exercise of the powers conferred by clause [A] of section 138 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015), the Central Government hereby appoints the 15th day of October, 2019 as the date on which the provisions of section 139, clause (i) of section 143 and section 144 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/14/EM/2015]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy.